आस्ट्रिया गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
सामाजिक सुरक्षा करार

आस्ट्रिया गणराज्य और भारत गणराज्य (जिन्हें इसके आगे ''संविदाकारी राज्य'' के रूप में कहा गया है),

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को विनियमित करने का संकल्प करते हुए; निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

भाग–I
सामान्य प्रावधान
अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजन के लिए:

(क) ''आस्ट्रिया'' से आशय, ''आस्ट्रिया गणराज्य'' और ''भारत'' से आशय ''भारत गणराज्य'' से है;

(ख)''विधान'' का आशय, विनिर्दिष्ट अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत बनाए गए कानूनों, विनियमों एवं संविधिक प्रावधानों से है;

(ग) ''नागरिक'' का आशय, आस्ट्रिया के सम्बन्ध में, आस्ट्रिया की नागरिकता वाले किसी व्यक्ति, और भारत के सम्बन्ध में भारतीय नागरिकता वाले किसी व्यक्ति से है;

(घ) ''सक्षम प्राधिकरण'' का आशय, आस्ट्रिया के संबंध में, संघीय मंत्री, जो आस्ट्रिया के विधान के प्रशासन के लिए उत्तरदायी और भारत के संबंध में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री है;

(ङ)''सक्षम अभिकरण'' का आशय, आस्ट्रिया के संबंध में, वह अधिकरण संस्थान, संगठन, या निकाय है जो अनुच्छेद–2 में विनिर्दिष्ट विधान के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से जिम्मेदार है, और भारत के संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है;

(च) ''कवरेज की अवधि'' का आशय, अशंदान की अवधि या इस प्रकार की मानी गई अन्य कोई अवधि, जो सुसंगत विधान द्वारा कवरेज की अवधि के समानुकूल ही मानी जाती है।

(छ)''लाभ'' का आशय, अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट विधान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के प्रतिपूरक या बढ़ोत्तरी को शामिल करते हुए, नकद में किसी भी प्रकार की पेंशन या लाभ से है, जो खरीददारी की शक्ति बनाने के लिए एकल भुगतान से मुक्त हो।

2. इस करार में प्रयोग की गई किसी अन्य अभिव्यक्ति का अर्थ, क्रमशः लागू होने वाले विधान में इसे प्रदान किए गए अर्थ वाला ही होगा।

अनुच्छेद 2
भौतिक कार्यक्षेत्र

1. यह करार लागू होगाः

(क) आस्ट्रिया के सम्बन्ध में,

(i) लेख्य प्रमाणक के लिए बीमा के अपवाद के साथ, पेंशन बीमा, से सम्बन्धित विधान के लिए, और

(ii) केवल भाग–II के संबंध में, बीमारी बीमा और दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित विधान के लिए।

(ख) भारत के सम्बन्ध में,

(i) नियोजित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन;

(ii) नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी पूर्ण विकलांगता पेंशन, सम्बन्धित विधान के लिए।

2. यह करार उस विधान पर भी लागू होगा, जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 में विनिर्दिष्ट विधान का स्थान लेता हो, प्रतिस्थापन करता हो, को संशोधित करता हों, को संपूरण करता हो या समेकित करता हो।

अनुच्छेद 3
व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र

जब तक कि इस करार में अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न हो, यह करार उन सभी व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों, जहां तक कि वे ऐसे व्यक्तियों से अधिकार प्राप्त करते हों, पर लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक के विधान के अधीन हों अथवा रहे हों।

अनुच्छेद 4
समानता का व्यवहार

1. जब तक इस करार में अन्यथा प्रावधान न हो, अन्य संविदाकारी राज्य के नागरिक और उन पर आश्रित लोगों और उनके उत्तराधिकारियों को, एक संविदाकारी राज्य के विधान को लागू करने में, उस संविदाकारी राज्य के नागरिकों के समान व्यवहार प्राप्त होगाः

2. आस्ट्रिया के सम्बन्ध में, करार के लागू होने के लिए, इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–1 भी लागू होगाः

(क) किसी राज्य का नागरिक जिसमें विनियमन (ईसी) संख्या 883/2004 लागू होता है;

(ख) दिनांक 28 जुलाई, 1951 में शरणार्थी की स्थिति से सम्बन्धित, समझौते के अनुच्छेद–I में यथा–परिभाषित शरणार्थी, और उस समझौते के लिए दिनांक 31 जनवरी, 1967 के प्रोटोकॉल सम्बन्ध में, किसी एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र के निवासी;

(ग) दिनांक 28 सितम्बर, 1954 में राज्यविहीन व्यक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में, समझौते के अनुच्छेद–I में यथा परिभाषित राज्य विहीन व्यक्ति, जो किसी एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र के निवासी;

(घ) इस पैराग्राफ में विशेष रूप से उल्लिखित व्यक्ति से प्राप्त अपने अधिकारों के साथ, कोई अन्य व्यक्ति, जो आश्रित या उत्तरदायी हो और एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में रहता है।

3. इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–I निम्नलिखित से सम्बन्धित आस्ट्रिया विधान के प्रावधानों के लिए लागू नहीं होगाः

(क) सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं की संस्थानों और एसोसिएशनों के साथ–साथ अधिनिर्णय में भागीदारी;

(ख) तीसरे राज्य के साथ करार से उत्पन्न होने वाले बीमा भारों का संविभाजन;

(ग) ऐसे व्यक्तियों का बीमा, जो किसी तीसरे राज्य में आस्ट्रिया के किसी राजनयिक मिशन या कान्सुलर पोस्ट में नियुक्त हैं या इस प्रकार के किसी मिशन या पोस्ट के सदस्य द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

4. जहां तक आस्ट्रिया विधान के सम्बन्ध में, युद्ध सेवा की अवधि और उसी के समान अवधि को मान्यता देने का प्रश्न है, वे भारतीय नागरिक जो 13 मार्च, 1938 के तुरन्त बाद आस्ट्रिया के नागरिक थे, को आस्ट्रिया के नागरिकों के समान व्यवहार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 5
लाभों का निर्यात

1. जब तक कि इस करार में विशेष उल्लेख न किया गया हो, एक संविदाकारी राज्य, इसके विधान के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को सिर्फ इस आधार पर कम या संशोधित नहीं करेगा, कि लाभार्थी अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में रहता या निवास करता है।
2. एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत लाभ, दूसरे संविदाकारी राज्य के उन नागरिकों, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के क्षेत्र से बाहर निवास करते हों, को, पहले संविदाकारी राज्य के नागरिकों, जो उस संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से बाहर निवास करते हैं, के समान शर्तों के अन्तर्गत और उतने ही प्रदान किए जाएंगे।
3. जहां तक आस्ट्रिया विधान का सम्बन्ध है, क्षतिपूर्ति पूरक के लिए इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–I लागू नहीं होगा।

भाग–II
लागू होने वाले विधान का निर्धारण करने वाले प्रावधान

अनुच्छेद 6
सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 7 से 9 के प्रावधानों की शर्त पर, एक नियोजित या स्व–नियोजित व्यक्ति जो, एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में कार्य करता है, उस कार्य के सम्बन्ध में, केवल उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन होगा। एक स्व–नियोजित व्यक्ति के मामले में, भी यही लागू होगा, यदि नियोक्ता के व्यापार का स्थान दूसरे संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में हो।

अनुच्छेद 7
विशेष प्रवधान

1. एक नियोजित व्यक्ति, जो एक कार्यालय के साथ नियोक्ता की सेवा है, जिस पर वह संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में सामान्यतया निर्भर है, और उस संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत अंशदान का भुगतान करता है को, उस नियोक्ता द्वारा किसी अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में, उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, वह नियोजित व्यक्ति पहले संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन ही रहेगा और इस संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत अंशदानों

का भुगतान करता रहेगा, जैसे कि वह अपने क्षेत्र में इस शर्त पर नियोजित रहता है, कि भविष्य में उसके कार्य की अवधि 60 महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–1 वहां लागू होगा, जहां एक व्यक्ति को उसके नियोक्ता द्वारा एक संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से तीसरे देश के क्षेत्र में भेजा जाता है और बाद में उस नियोक्ता द्वारा उसे तीसरे देश के क्षेत्र से दूसरे संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में भेजा जाता है।

3. जब एक नियोजित व्यक्ति को किसी हवाई यातायात संगठन के लिए एक संविदाकारी राज्य, जिसका व्यापार स्थान दूसरे संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में है, के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा जाता है तो, वहां इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–1, 60 महीनों की समय सीमा के बिना लागू होगा।

4. वह व्यक्ति, जो किसी समुद्री जहाज पर कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, जिस पर संविदाकारी राज्य का ध्वज लहराता है, उस संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन होगा।

अनुच्छेद 8
सिविल कर्मचारी, राजनयिक मिशनों और कान्सूलर पोस्टों के सदस्य

1. इस करार में कुछ भी राजनयिक सम्बन्धों पर 18 अप्रैल, 1961 के वियना समझौते या 24 अप्रैल, 1963 के कान्सुलर सम्बन्धों पर वियना समझौते को प्रभावित नहीं करेगा।

2. कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य की सरकार या अन्य सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाता है और उसे अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है, वह उन सेवाओं के सम्बन्ध में, पहले संविदाकारी राज्य के विधान के अधीन रहेगा।

अनुच्छेद 9
लागू होने वाले विधान पर प्रावधानों से अपवाद

1. एक नियोजित व्यक्ति और उसके नियोक्ता या एक स्व–नियोजित व्यक्ति के अनुरोध पर, दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण या उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, आपसी सहमति से, कार्य की प्रकृति और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुच्छेद 6 से 8 के लागू करने में अपवाद प्रदान कर सकते हैं।

2. जहां, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 के अनुसार, एक व्यक्ति आस्ट्रिया के विधान के अधीन है, तो वह विधान उस पर वैसे ही लागू होगा, जैसे कि वह आस्ट्रिया के क्षेत्र में नियोजित था।

भाग–III
लाभों से सम्बन्धित प्रावधान
अनुच्छेद 10
कवरेज की अवधियों का समेकन

1. यदि कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों के विधान के अन्तर्गत कवरेज की अवधि को पूरा करता है तो, ये अवधियां, उस समय तक यदि परस्पर व्याप्त नहीं होती है तो, यदि आवश्यक हो तो उन्हें किसी लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एक–दूसरे में मिला दी जाएंगी, उसी प्रकार जैसे कि वे सुसंगत संविदाकारी राज्य में कवरेज की अवधि थीं।

2. किसी व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे देश, जिसके साथ सम्बन्धित संविदाकारी राज्य ने उसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा करार किया हुआ है, में पूरी की गई कवरेज की अवधियों को उस देश के विधान के अन्तर्गत लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. यदि एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत लाभ का निर्धारण करने के लिए कवरेज की कुल गणना की जाने वाली अवधि 12 महीनों से कम है और इन कवरेज की अवधियों के कारण लाभ की हकदारी अनुच्छेद–2 में दिए गए विधानों के अन्तर्गत नहीं आती है तो, इस संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 11
उन लाभों की गणना जहां समेकन की आवश्यकता न हो

जहां अनुच्छेद–10 के पैराग्राफ–1 के लागू हुए बिना ही, किसी लाभ की हकदारी एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत आती है, तो उस संविदाकारी राज्य का सक्षम अभिकरण, विशेष रूप से उस विधान के अन्तर्गत गणना की जाने वाली कवरेज की अवधियों के आधार पर, लाभ की राशि निर्धारित करेगा।

धारा–1
आस्ट्रिया के विधान के अन्तर्गत लाभ
अनुच्छेद–12
आस्ट्रिया से सम्बन्धित विशेष प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति जिसने दोनों संविदाकारी राज्यों के विधान के अन्तर्गत कवरेज की अवधियां पूरी की हों, या ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी, लाभ का दावा करता है, तो सक्षम आस्ट्रियाई अभिकरण, आस्ट्रिया के विधान के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि, अनुच्छेद 10 में दिए अनुसार दावाधारक सभी कवरेज की अवधियों को मिलाकर लाभ प्राप्त करने का हकदार है या नहीं।

(क) जहां आस्ट्रिया का विधान, किसी विशेष योजना द्वारा कवर किया जाने वाले व्यवसाय या किसी विशेष रूप से उल्लिखित व्यवसाय या रोजगार में, विभिन्न लाभों को देने के लिए, कवरेज की अवधियों के पूरे होने पर शर्त लगा दे, तो, इस प्रकार के लाभों के देने के लिए उसी व्यवसाय या उसी रोजगार में केवल

भारत के विधान के अन्तर्गत पूरी की गई कवरेज की अवधियों की गणना की जाएगी।

(ख) जहां आस्ट्रिया विधान में प्रावधान है कि पेंशन के भुगतान की अवधि, संदर्भ अवधि को बढ़ा देगी जिसके दौरान कवरेज की अवधियां सुसंगत तिथि तक पूरी हो जानी चाहिएं, तो, अवधि जिसमें भारतीय विधान के अन्तर्गत पेंशन दी गई हो, वह पहले बताई गई सन्दर्भ अवधि को भी बढ़ा देगी।

अनुच्छेद–13
आस्ट्रियाई लाभों की गणना

1. जहां केवल अनुच्छेद–10 के पैराग्राफ–1 के अन्तर्गत अवधियों का समेकन करके, किसी लाभ की हकदारी आस्ट्रिया विधान के अन्तर्गत होती है, वहां सक्षम आस्ट्रियाई अभिकरण, भारत के कवरेज की अवधियों के साथ, यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य राज्य में कवरेज की अवधियों को मानकर, विनियमन (ईसी) सं॰ 883/2004 के अनुसार लाभ की राशि का निर्धारण करेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 से अपवाद के रूप में, आस्ट्रिया के विधान के अनुसार, केवल लाभों का निर्धारण करने में बच्चे के बड़े होने की अवधियों की भी गणना की जाएगी।

धारा–2
भारत के विधान के अन्तर्गत लाभ
अनुच्छेद–14
भारत के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

1. इस करार में, वृद्धावस्था, उत्तराधिकारी के और विकलांगता लाभों के अधिकार के लिए अधिग्रहण, धारण या प्रतिलाभ के लिए प्रावधान होने के बावजूद, पूरी की गई कवरेज अवधियां इस प्रकार के लाभों के समेकन के सम्बन्ध में आस्ट्रिया के विधान के अनुसार होगीं, जब कभी आवश्यक हो और उस हद तक की, वे भारतीय विधान के अनुसार पूरी की गई कवरेज की अवधियों को अतिछादित नहीं करतीं।

2. यदि भारतीय विधान विभिन्न वृद्धावस्था, उत्तराधिकारी के और विकलांगता लाभों को देने के लिए इस शर्त पर आश्रित कर देता है कि कवरेज अवधियों को एक दिए गए व्यवसाय में ही पूरा किया जाए, तो इन लाभों की हकदारी में प्रवेश के लिए आस्ट्रिया में केवल उसी व्यवसाय में पूरी की गई या समकक्ष मान्यता दी गई कवरेज की अवधियां ही समेकित की जाएंगी।

3. यदि भारतीय विधान विभिन्न लाभों को देने के लिए इस शर्त पर आश्रित कर देता है कि कवरेज की अवधियां एक दिए गए व्यवसाय में पूरी की जाएं और जब इन बताई गई अवधियों के परिणाम स्वरूप भी लाभों की हकदारी सुनिश्चित न होती हो, तो उक्त अवधियों पर नियुक्त व्यक्ति के लिए, सामान्य योजना में प्रदान किए गए लाभों के अनुसार ही, लाभों को निर्धारित करने में विचार किया जाएगा।

4. यदि कोई व्यक्ति भारतीय विधान के अन्तर्गत, समेकन के लिए आवश्यक कार्रवाई के बिना ही वृद्धावस्था, उत्तराधिकारी की या विकलांगता लाभों का हकदारी है, तो सक्षम भारतीय अभिकरण, केवल भारतीय विधान के अन्तर्गत और भारत में पूरी की गई कवरेज की अवधियों के आधार पर सीधे ही लाभ की हकदारी की गणना करेगा।

5. यदि कोई भारतीय विधान के आधार पर, वृद्धावस्था, उत्तराधिकारी के या विकलांगता लाभों का हकदार है, तो उसके लिए उसका अधिकार केवल कवरेज की अवधियों की गणना करके बनाया जा सकता है, इसमें निम्नलिखित नियम लागू होंगेः–

(क) सक्षम भारतीय अभिकरण लाभ की देय सैद्धान्तिक राशि की इस रूप में गणना करेगा, जैसे कि पूरी की गई कवरेज की सभी अवधियां दोनों संविदाकारी राज्य के विधानों के अनुसार, विशेष रूप से भारतीय विधान के अन्तर्गत पूरी की गई थीं।

(ख) तब सक्षम भारतीय अभिकरण लम्बित राशि की गणना, (क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई राशि के आधार पर, इसके विधान के अन्तर्गत कवरेज की अवधियों के समय के समानुपात में करेगा।

6. एक व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मचारी भविष्य निधि में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अधीन उसके क्रेडिट में पड़ी सारी राशि को निकालने का हकदार हैः

(क) किसी प्रतिष्ठान में उसके कर्मचारी न रहने पर; और

(ख) भारत का क्षेत्र छोड़ने पर या किसी प्रतिष्ठान में नियोजित न रहने पर।

7. यदि करार में प्रावधान किए गए अनुसार समेकन लाभ को शामिल करने के पश्चात भी, सदस्य की मासिक पेंशन हेतु पात्र सेवा की अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो भी एक व्यक्ति कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अधीन लाभ को वापस लेने का हकदार है।

भाग–IV

विविध प्रावधान

अनुच्छेद–15

सक्षम प्राधिकरण और प्रशासनिक सहायता के बीच समन्वय

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण एक प्रशासनिक प्रबन्ध करेंगे, जो इस करार के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय निर्धारित करेगा।

2. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण और सक्षम अभिकरण, उनके सम्बन्धित प्राधिकरणों के कार्य–क्षेत्र के भीतरः–

(क) इस करार के लागू होने में, लिए गए सभी उपायों के बारे में एक–दूसरे को सूचित करेंगे, और

(ख) विधान में किए गए सभी परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे, जो इस करार के लागू होने को प्रभावित करते हैं।

3. दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण और सक्षम अभिकरण, इस करार को लागू करने में एक दूसरे की उसी प्रकार सहायता करेंगे, जैसे वे अपना विधान लागू कर रहे हों। इस प्रकार की सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

4. संविदाकारी राज्यों के प्राधिकरण और अभिकरण एक–दूसरे या शामिल व्यक्तियों या उनके प्रतिनिधियों से सीधे ही सम्पर्क कर सकते हैं।

5. एक संविदाकारी राज्य के प्राधिकरण और अभिकरण उनके पास जमा किए गए दावों या अन्य दस्तावेजों को सिर्फ इस कारण से अस्वीकार नहीं कर सकते, कि वे दूसरे संविदाकारी राज्य की राजकीय भाषा में लिखे गए हैं।

6. यदि, एक संविदाकारी राज्य का सक्षम अभिकरण किसी आवेदक या लाभार्थी, जो अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में निवास करता या रहता है, से स्वास्थ परीक्षा की मांग करता है तो, इस प्रकार की परीक्षा का, उस अभिकरण के अनुरोध और उसके खर्चे पर, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध किया जाएगा या करवाया जाएगा। दोनों संविदाकारी राज्यों के विधान के अन्तर्गत की जाने वाली स्वास्थ परीक्षा के मामले में, इस प्रकार की परीक्षा का, जिस स्थान पर वह रहता है या निवास करता है, उस स्थान के अभिकरण द्वारा अपने खर्चे पर प्रबन्ध किया जाएगा या करवाया जाएगा।

अनुच्छेद–16
सम्पर्क अभिकरण

इस करार को लागू करने को सुगम बनाने के उद्देश्य से संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण, विशेष रूप से सम्बन्धित अभिकरणों के बीच एक सरल व तीव्र सम्पर्क का निर्माण करने के लिए, सम्पर्क अभिकरणों की स्थापना करेंगे।

अनुच्छेद–17
प्रभारों और सत्यापन से छूट

1. एक संविदाकारी राज्य के विधान में दिए गए करों, स्टांप ड्यूटी, कानूनी देयताओं या पंजीकरण शुल्कों में कोई छूट या कटौती, जो उस विधान के लागू होने के लिए, जमा किए जाने वाले प्रमाण–पत्रों या कागजातों से सम्बन्धित हैं, को इस करार, या दूसरे संविदाकारी राज्य के विधान के लागू होने के लिए जमा किए जाने वाले ऐसे प्रमाण–पत्रों या कागजातों के लिए भी विस्तारित कर दिया जाएगा।

2. इस करार को लागू करने के लिए जमा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के सभी वक्तव्यों, कागजातों और प्रमाण–पत्रों को किसी राजनयिक या कान्सुलर प्राधिकरण से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद–18
आवेदनों, नोटिस और अपीलों की समान स्थिति

1. कोई दावा, घोषणा या अपील, जो इस करार या एक संविदाकारी राज्य के विधान को लागू करने के लिए, एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण या सक्षम अभिकरण में जमा किया जाता है को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण या सक्षम अभिकरण के पास जमा किए गए दावे, घोषणा या अपील के रूप में माना जाएगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत लाभ के लिए किसी दावे पर, दूसरे संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत तद्नुरूप लाभ के दावे की भांति विचार किया जाएगा, बशर्ते कि दावाधारक आवेदन के समय यह दर्शाते हुए सूचना दे कि कवरेज की अवधियां दूसरे संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत पूरी कर ली गई हैं। तथापि, जब दावाधारक स्पष्ट रूप से यह अनुरोध करता है कि दूसरे संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत वृद्धावस्था लाभ को अस्थगित कर दिया जाए, तब यह लागू नहीं होगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत कोई दावा, घोषणा या अपील, जो एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण अथवा अभिकरण में अवश्य जमा कर देनी चाहिए, को उसी समय के भीतर दूसरे संविदाकारी राज्य के तदनुरूपी प्राधिकरण या अभिकरण में जमा कराई जा सकती है।

4. उन मामलों में, जहां इस अनुच्छेद का पैराग्राफ–1 से 3 लागू होता है, प्राधिकरण या अभिकरण जिसके पास दावा, घोषणा या अपील जमा की गई है, उनको

बिना किसी विलम्ब के कागजात की प्राप्ति की तिथि दर्शाते हुए, दूसरे संविदाकारी राज्य के तदनुरूपी सक्षम निकाय को अग्रेषित करेगा।

अनुच्छेद–19
भुगतान

1. इस करार के अन्तर्गत सक्षम अभिकरण लाभों का भुगतान दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की मुद्रा में कर सकता है।

2. इस करार के अनुसार प्रतिपूर्ति उस संविदाकारी राज्य की मुद्रा में की जाएगी, जिसमें वह सक्षम अभिकरण स्थित है, जिसने सेवा की है।

3. इस करार के अनुसार भुगतान उन प्रबन्धों व प्रैक्टिसों के अनुसार किए जाएगें, जो भुगतान के समय पर दोनों संविदाकारी राज्यों में इस क्षेत्र में लागू हैं।

उस स्थिति में, जब एक संविदाकारी राज्य मुद्रा नियन्त्रण या इसी प्रकार के अन्य तरीके लागू करता है, जो उस संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के भुगतानों, प्रेषणों या निधियों के हस्तान्तरणों या वित्तीय तंत्रों को प्रतिबन्धित करते हैं, तो उसे बिना किसी विलम्ब के यह सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त उपाय करने चाहिएं कि इस करार के अनुसार अनुच्छेद 3 में वर्णन किए गए व्यक्तियों, जो अन्य संविदाकारी राज्य में निवास करते हैं, को किसी भी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद–20
डाटा संरक्षण

1. जहां इस करार के अन्तर्गत और घरेलू कानून के अनुरूप व्यक्तिगत डाटा प्रेषित किया जाता है, सम्बन्धित संविदाकारी राज्यों के अन्य बाध्य प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नलिखित प्रावधान लागू होगें।

(क) इस करार और विधान, जिस पर यह लागू होता है, के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्राप्तकर्ता राज्य में सक्षम निकायों को व्यक्तिगत डाटा का प्रेषण किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता राज्य अन्य प्रयोजनों के लिए इस डाटा का प्रयोग नहीं कर सकता है। प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में इस व्यक्तिगत डाटा को अन्य निकायों को देने की अनुमति प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनी ढांचे के अध्याधीन है, बशर्ते की यह सामाजिक सुरक्षा प्रयोजनों, जिनमें संबंधित न्यायालय प्रक्रियाएं शामिल हैं, के लिए हो।

(ख) इस करार अथवा इस करार का कार्यान्वयन करने वाले किसी प्रबन्ध के अनुसार उत्तरदायी प्राधिकरणों, संस्थानों, और संबंधित अन्य निकायों के मध्य किसी भी रूप में संप्रेषित किसी व्यक्तिगत डाटा को उसी तरीके से अन्य संविदाकारी राज्य से प्राप्त गोपनीय सूचना के रूप में माना जाता है, जैसे प्राप्तकर्ता राज्य के घरेलू कानून के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को माना जाता है। यह बाध्यता इस करार के अन्तर्गत कार्यों को पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों और गोपनीयता की बाध्यता द्वारा आबद्ध व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

(ग) विशिष्ट मामलों सम्प्रेषण निकाय के अनुरोध पर, डाटा का प्राप्तकर्ता निकाय, प्राप्त सम्प्रेषित डाटा के प्रयोग और उससे प्राप्त किए गए परिणामों की सूचना उस निकाय को देगा।

(घ) सम्प्रेषण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि सम्प्रेषित किया गया व्यक्तिगत डाटा सही और अद्यतन है। व्यक्तिगत डाटा का कोई सम्प्रेषण शुरू करने से पहले संप्रेषण निकाय यह जांच करेगा कि डाटा के सम्प्रेषण से आगे बढ़ाए गए उद्देश्यों के संबंध में इसका सम्प्रेषण आवश्यक और समानुपातिक है। इस सन्दर्भ में, सुसंगत घरेलू कानूनों के अन्तर्गत, डाटा के सम्प्रेषण के किसी प्रतिषेध का सम्मान किया जाएगा। डाटा का सम्प्रेषण नहीं किया जाएगा, यदि सम्प्रेषण निकाय वास्तव में यह समझे कि ऐसा करने से घरेलू कानून के उद्देश्य का उल्लंघन होगा। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि अशुद्ध डाटा अथवा वह डाटा जिसका सम्प्रेषण राज्य की विधि के अन्तर्गत अनुमेय नहीं है, संप्रेषित किया गया है, तो प्राप्तकर्ता राज्य को इस वास्तविकता को तत्काल सूचित करना होगा। प्राप्तकर्ता निकाय इस डाटा को तत्काल शुद्ध अथवा विलोपित कर सकता है। यदि प्राप्तकर्ता निकाय के पास यह मानने के लिए कारण है कि संप्रेषित डाटा अशुद्ध हो सकता है अथवा विलोपित किया जाना चाहिए, तो यह निकाय इसके बारे में संप्रेषण निकाय को तत्काल अवगत करायेगा।

(ङ) प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को, जो उपयुक्त तरीके से अपनी पहचान को सिद्ध करता है, उनके मूल संप्रेषण प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता को श्रेणी डाटा के प्रयोग के प्रयोजन के साथ–साथ इसके कानूनी आधार के बारे में संप्रेषित अथवा प्रक्रिया की गई उनसे सम्बन्धित डाटा के बारे में सूचना, डाटा प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी निकाय द्वारा एक बोधगम्य फार्म में प्रदान की जायेगी। यह सूचना बिना किसी बिलम्ब और सिद्धान्त रूप से निःशुल्क दी जायेगी। इसके अलावा, सम्बन्धित व्यक्ति को अधूरे अथवा अशुद्ध डाटा को सही करने और गैर कानूनी रूप से प्रक्रिया किए गए डाटा के विलोपन का अधिकार होगा। आगे इन अधिकारों को लागू करने से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक ब्यौरे घरेलू कानून की शर्त पर होंगे।

(च) डाटा संरक्षण से सम्बन्धित अधिकारों को भंग करने की स्थिति में, प्रभावित व्यक्ति संविदाकारी राज्यों के सम्बन्धित राष्ट्रीय विधानों के अनुसार, कानूनी न्यायालय सहित कानूनी उपचार के हकदार होंगे।

(छ) सम्प्रेषित व्यक्तिगत डाटा विलोपित कर दिया जाएगा, यदि सही नहीं पाया जाता है अथवा गैर–कानूनी तरीके से प्राप्त किया अथवा सम्प्रेषित किया जाता है, अथवा सम्प्रेषण राज्य के घरेलू कानून के अनुसार, कानूनी रूप से संप्रेषित डाटा का बाद की तारीख में विलोपन किया जाता है, अथवा यदि कार्य को पूरा करने के लिए डाटा की आगे आवश्यकता नहीं है और यदि यह मामने का कोई कारण नहीं है कि विलोपन से, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में संरक्षण के सुपात्र व्यक्ति का हित जोखिम में पड़ सकता है।

(ज) सम्प्रेषण निकाय और प्राप्तकर्ता निकाय, दोनों सम्प्रेषण और प्राप्तकर्ता निकाय के साथ–साथ, व्यक्तिगत डाटा के किसी सम्प्रेषण के प्रयोजन, विषय और तारीख को दर्ज करने को बाध्य होंगे।

(झ) सम्प्रेषण निकाय और प्राप्तकर्ता निकाय, दोनों, प्राप्त व्यक्तिगत डाटा को दुर्घटना, अथवा अनधिकृत विनाश, दुर्घटना हानि, अनधिकृत पहुंच, अनधिकृत अथवा दुर्घटनावश संशोधन और अनधिकृत प्रकटीकरण से प्रभावी रूप से बचाने को बाध्य होंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 के प्रावधान व्यवसाय और कारोबारी गुप्त बातों पर तदनुसार लागू होगें।

अनुच्छेद–21
वापसी

1. जहां एक संविदाकारी राज्य के सक्षम अभिकरण ने किसी लाभ का अधिक भुगतान कर दिया है, तो उस अभिकरण के खाते के लिए अन्य संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत देय, किसी समतुल्य लाभ के बकाया से अधिक भुगतान की राशि को काट लिया जाएगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत, एक व्यक्ति किसी अवधि के लिए लाभ का पात्र है, जिसके लिए वह अथवा उसके परिवार का सदस्य अन्य संविदाकारी राज्य की कल्याण संस्था से लाभ प्राप्त करता है, वापसी के लिए पात्र कल्याण संस्था के अनुरोध पर और उसकी ओर से ऐसे लाभ की वसूली की जायेगी, जैसे कि वह कल्याण संस्था पहले संविदाकारी राज्य के क्षेत्र में स्थित एक कल्याण

संस्था हो। वसूली करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, यदि एजेंसी ने लाभों का भुगतान कल्याण संस्था द्वारा किए गए भुगतानों की जानकारी से पूर्व किया हो।

अनुच्छेद–22
विवादों का निपटान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकरण इसके अभिप्राय और मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार इस करार की व्याख्या अथवा इसे लागू करने में होने वाले मतभेदों को यथासंभव हल करेंगे।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 के अनुसार सक्षम प्राधिकरणों द्वारा हल न किए गए मामलों के सम्बन्ध में किसी भी संविदाकारी राज्य के अनुरोध पर संविदाकारी राज्य तत्परता से एक–दूसरे से विचार–विमर्श करेंगे।

भाग–V
परिवर्ती और अन्तिम प्रावधान

अनुच्छेद–23
परिवर्ती प्रावधान

1. यह करार इसके लागू होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए लाभ के भुगतान हेतु कोई पात्रता स्थापित नहीं करेगा।
2. इस करार के लागू होने से पूर्व एक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत पूरी की गई कवरेज की किसी अवधि पर भी, इस करार के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के निर्धारण हेतु, विचार किया जाएगा।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 की शर्त पर, यह करार, इसके लागू होने से पहले होने वाली हकदारी से सुसंगत आकस्मिक व्यय पर भी लागू होगा, जहां तक पूर्व में निर्धारित हकदारी ने एकमुश्त अदायगी, में बढ़ोतरी नहीं की है।
4. इस करार के आधार पर देय लाभ की राशि का निर्धारण, लाभार्थी के अनुरोध पर, इस करार के लागू होने की तारीख से किया जाएगा। जहां दावा इस करार के लागू होने से दो वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया गया है, लाभ की अदायगी उस तारीख से की जाएगी; अन्यथा लाभ की अदायगी प्रत्येक संविदाकारी राज्य के विधान के अन्तर्गत निर्धारित तारीख से की जाएगी।

5. इस करार के लागू होने से पूर्व निर्धारित किए गए लाभों की समीक्षा नहीं की जाएगी।

6. अनुच्छेद–7 के पैराग्राफ 1 को लागू करते समय, इस करार के लागू होने की तारीख से पूर्व संविदाकारी राज्य में भेजे गए व्यक्तियों के मामले में, उस अनुच्छेद में संदर्भित रोजगार की अवधि, इस करार के लागू होने की तारीख से शुरू हुई समझी जाएगी।

अनुच्छेद–24
लागू होना, समयावधि और निरस्त होना

1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य से लिखित अधिसूचना, कि उसने इस करार को लागू करने के लिए सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, प्राप्त होने वाले महीनों के पश्चात् तीसरे महीने के प्रथम दिवस से लागू होगा।

2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। कोई भी संविदाकारी राज्य लिखित में बारह महीने पूर्व नोटिस के साथ इसे निरस्त कर सकता है।

3. इस करार के निरस्त होने की स्थिति में, इसके प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कोई अधिकार बनाए रखे जाएंगे।

इसके साक्ष्य में, अपनी–अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

जर्मन, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं, प्रत्येक की 2 मूल प्रतियों में वियना में 4 फरवरी, 2013 को किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

आस्ट्रिया गणराज्य की ओर से **भारत गणराज्य की ओर से**

रूडाल्फ हंड्स्टोरफर **वयलार रवि**